

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)/द्वितीय एसीपी 94/अलेसे-III/6514-6565 दिनांक:- 7/10/2014

आदेश संख्या - 89/2014-15

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम)/2008/ दिनांक 12.9.2008 एवं आदेश संख्या एफ.11(7) वित्त (नियम) पार्ट-I/ 2008 दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की द्वितीय आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे-बेण्ड 2(9300-34800) ग्रेड पे 4200/- एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 14(88)वित्त (नियम) 2008 दिनांक 5 जुलाई,2013 के अनुसरण में दिनांक 1.7.2013 से ग्रेड पे 4800/- में स्वीकृत की जाती हैं।

क्र.स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्व श्री	मेरिट / बैंच संख्या	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
01-	दिनेश कुमार सोनी	R-88/90	03.01.1994	03.01.2012	
02-	रविन्द्र कुमार शर्मा	124/92	03.05.1995	03.05.2013	
03-	सुदेश कुमार गुप्ता	321/92	22.03.1995	22.03.2013	
04-	कमलेश नारायण शर्मा	R-83/92	01.07.1995	01.07.2013	
05-	रविन्द्र यादव	R-122 /92	28.06.1995 AN	29.06.2013	
06-	राजकुमार मिश्र	6/94	19.02.1996	19.02.2014	
07-	भंवर लाल	42/94	19.02.1996	19.02.2014	
08-	राजेन्द्र सोनी	87/94	19.02.1996	19.02.2014	
09-	ओमप्रकाश	102/94	22.05.1996	22.05.2014	
10-	भगवत सिंह	137/94	19.02.1996	19.02.2014	
11-	राजेश शर्मा	183/94	22.02.1996	22.02.2014	
12-	हरिसिंह सैनी	270/94	22.02.1996	22.02.2014	
13-	सैयद अंजुम	328/94	31.07.1996	31.07.2014	
14-	हरिशचन्द्र चारण	415/94	25.06.1996	25.06.2014	
15-	राजेश कुमार जांगिड़	456/94	08.03.1996	08.03.2014	
16-	सुबे सिंह	486/94	06.04.1996	06.04.2014	
17-	विनोद कुमार स्वामी	488/94	26.02.1996	26.02.2014	
18-	हरिसिंह बारेठ	501/94	28.02.1996	28.02.2014	
19-	रूपाराम चौधरी	546/94	19.02.1996	19.02.2014	
20-	राजीव कुमार	550/94	13.03.1996	13.03.2014	
21-	संजय कुमार गौतम	DGS 94	01.09.1996	01.09.2014	

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प014 (88) वित्त/ नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा संतान संबंधी शपथ पत्र प्राप्त के आधार पर आशवासित कैरियर प्रगति(एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्रम संख्या 02, 04 से 08, 13, 16, 17, 19 एवं 23 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षों में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आशवासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आशवासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है, एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय / फौजदारी जाच लम्बित नहीं है एवं गत वर्षों में नियमित रूप से वेतन वृद्धियाँ स्वीकृत की गई हैं। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावे।

dl-
(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)/द्वितीय एसीपी 94/अलेसे-III/6514-6565 दिनांक 7/10/2014
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री.....कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....
3. कार्यालय अधीक्षक (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकारों के भविष्य में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खाले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
4. उपनिदेशक(एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
6. निजी/गार्ड फाईल।

(डा० अश्विन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)